

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/कक्ष-3/बजट-1/2019/5367
प्रति,

भोपाल,दिनांक 1/11/19

वनमंडलाधिकारी,
सिवनी उत्पादन/दक्षिण सिवनी सा/
उत्तर बैतूल सा/देवास सा/ग्वालियर सा, वनमंडल
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2019-20

- संदर्भ:-1. वनमंडलाधिकारी सिवनी उत्पादन वनमंडल का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 896 दिनांक 23.10.2019
2. मुख्य वन संरक्षक सिवनी वृत्त का पत्र क्रमांक 1518 दिनांक 17.10.2019
3. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा. वनमंडल का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 1825 दिनांक 23.10.2019
4. वनमंडलाधिकारी देवास सा. वनमंडल का पत्र क्रमांक 7987 एवं 7989 दिनांक 24.10.2019
5. मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त का पत्र क्रमांक 6386 दिनांक 22.10.2019

-0-

संदर्भित विषयांतर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता के आधार पर मांग संख्या 10-2406-01-101-0101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है -

(राशि रूपयों में)

| आहरण एवं संवितरण अधिकारी | उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष | पूर्व आवंटित बजट | अतिरिक्त आवंटित बजट | योग |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| वनमंडलाधिकारी सिवनी उत्पादन वनमंडल | 11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 2,00,000 | 2,00,000 | 4,00,000 |
| वनमंडलाधिकारी दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल | 11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 7,71,370 | 1,61,320 | 9,32,690 |
| वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल | 11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 3,27,752 | 1,97,200 | 5,24,952 |
| वनमंडलाधिकारी देवास सामान्य वनमंडल | 11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 3,00,016 | 1,61,000 | 4,61,016 |
| वनमंडलाधिकारी ग्वालियर सामान्य वनमंडल | 11-009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | 0 | 61,402 | 61,402 |

1. उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों/निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।


2. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त नियम/निर्देश ग्रथावत रहेंगे।
3. उक्त आवंटित राशि से संदर्भित पत्रों से मांग की गई राशि का ही भुगतान करें।


(विभाष कुमार टाकुर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल
भोपाल, दिनांक 1/11/19

पृ.क्र./कक्ष-03/बजट-1/2019/5363
प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म0प्र0 भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त सिवनी/बैतूल/उज्जैन एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कक्ष प्रभारी बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्य प्रदेश भोपाल